न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4046–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–11–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार, जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 09/2014–15/अपील

चन्द्रप्रकाश मिश्रा पुत्र श्री सतीशचन्द्र मिश्रा,
निवासी आई–2 गांधीनगर ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीलाल गौड़ पुत्र श्री सुघरसिंह
निवासी न्यू अशोक कॉलोनी नदीपार टाल मुरार,
जिला ग्वालियर

2–जोरसिंह पुत्र स्व0श्री बच्चूसिंह
निवासी ग्राम धनेट तहसील पोरसा व जिला मुरैना म0प्र0

3–गनेशीलाल बंसल पुत्र स्व0श्री भगरीलाल बंसल
निवासी गुरूद्वारे के सामने शिन्दे की छावनी
महारानी लक्ष्मीबाई रोड ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–5–1988 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 27 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 9/2014–15/अपील दर्ज कर दिनांक 4–12–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में 27 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि नामान्तरण पंजी उपलब्ध नहीं है, जबकि अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । अतः इस आधार पर भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है और बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय नहीं की जा सकती है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होने से विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने का कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, केवल न्यायदृष्टांत का उल्लेख करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब क्षमा किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 27 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की

गई थी जो कि अत्यधिक अवधि बाह्य थी और इतने लम्बे विलम्ब को क्षमा करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को सकारण आदेश पारित करना चाहिये था कि उनके द्वारा इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को क्यों क्षमा किया जा रहा है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुरार ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–11–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर